23/11/2020

पत्रावली पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर 19.11.2020 को बहस सुनी गई थी, जो आज वास्ते आदेश नियत है। पत्रावली पर दर्ज तथ्यों, रिपोर्ट तहसीलदार, फर्द मौका-भू.अ.नि. भोमपुरा व पटवारी री। NP व संवतसर, संलग्न नक्शे का अवलोकन किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पक्षकार बनाए गए अन्य अप्रार्थीगण की अभी तक तलबी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। सभी तथ्यों, दस्तावेजों व स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार - रायसिंहनगर की रिपोर्ट व जवाब के परिप्रेक्ष्य में यह परिलक्षित होता है कि - चक 32 PS से रामसरा कुम्हारान की ओर (दक्षिण की ओर) जाने वाला आम रास्ता सदामत से चालू है। चक कुलरासर बारानी के मु.न. 16 के कि.न. 5-6-15-16-25 प्रत्येक में $8\frac{1}{4}$ फुट चौड़ा रास्ता व चक रामसरा कुम्हारान के मु.न. 32 के कि.न. 1-10-11-20-21 प्रत्येक में $8\frac{1}{4}$ फुट चौड़ा रास्ता सदामत से चालू रहना प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.04 14:21:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति - तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के हक में प्रतीत नहीं होते। सदामत से चल रहे आम रास्ते को प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने जान-बूझ कर बन्द करना प्रतीत होता है। इससे संबंधित काश्तकार व आमजन प्रभावित हो रहे हैं। अतः इन सब पक्षों के मद्देनजर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित किया जाना किसी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। यह आदेश आज दिनांक 23.11.2020 को न्यायालय में सुनाया गया।

साथ ही, पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण दोनों ने सदामत के चालू रास्ते को बन्द करने का अनुचित कार्य किया है, अतः प्रा. पत्र 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955 अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के तीनों बिन्दुओं को सिद्ध न कर पाने की वजह से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल-दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.03.04 14:21:48 IST
Reason: SelfAttested

...अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर